महानिदेशालय कारागार,राजस्थान,जयपुर

कमांक:निरी/निषिद्ध वस्तुऐं/अजमेर/10/1613-712 दिनांक :–15.04.2010

परिपत्र

समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक/प्रभाराधिकारी,
केन्द्रीय/ज़िला/उप कारागृह, राजस्थान एवं
प्रभारी, किशोर बंदी सुधार गृह, घूधरा,अजमेर

विषय :कारागृहों के निषिद्ध वस्तुओं की रोकथाम हेतु निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर प्रसारित निर्देशों के बावजूद विभिन्न कारागृहों पर मोबाइल उपकरण, मादक पदार्थ एवं अन्य निषिद्ध वस्तुएं बंदियों के पास पाई जा रही हैं । निषिद्ध वस्तुओं का अपराध कारित करने में उपयोग तथा इन्हें उपलब्ध कराने में भ्रष्ट आचरण के प्रकरण भी सामने आये हैं ।

2. इससे स्पष्ट है कि जेल गेट पर तलाशी प्रभावी नहीं है तथा बैरिक/वार्ड पर जेल कर्मियों द्वारा निगरानी तथा सी0ओ0/सी0एन0डब्ल्यू0 द्वारा कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता अथवा सहमति प्रकट होती है ।

3. निषिद्ध सामग्री समय समय पर काफी संख्या में बरामद होने पर भी यह आश्चर्य का विषय है कि इस प्रकार की निषिद्ध वस्तुएं कारागृहों में प्रवेश करवाने में लिप्त कर्मियों को चिन्हित करने में आप अधिकाशतः असफल रहे हैं ।

4. प्रभावी तलाशी ही कारागारों में निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश को रोकने का मुख्य एवं कारगर तरीका है । इसको प्रभावी बनाने के लिये आपको विशेष ध्यान देना चाहिये । इस कार्य के लिये सबसे विश्वसनीय कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिये लेकिन निरंतर निषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी इस महत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी उपेक्षा अथवा अक्षमता प्रतीत होती है ।

5. निषिद्ध वस्तुओं के कारण उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिये यह जरूरी है कि आप स्वयं अपने सूचना–तंत्र को विकसित कर इस अनियमित कार्य में लिप्त/सहायक जेल कर्मियों को चिन्हित करें । संदिग्ध कर्मियों को

संवेदनशील स्थान पर तैनात नहीं करें और जिन जेल कर्मियों के अधीन वार्ड/बैरिक में निरन्तर निषिद्ध वस्तुएं बरामद होती है उनका उत्तरदायित्व आपके द्वारा निर्धारित किया जाये तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये ।

6. इसी प्रकार सी0ओ0/सी0एन0डब्ल्यू0 का भी निषिद्ध वस्तुएं मिलने पर आप द्वारा उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये तथा उनके विरूद्ध जेल नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये ।

7. निषिद्ध वस्तुओं की कारागार में मौजूदगी को रोकने के लिये आप अन्य कर्मियों के साथ मिलकर टीम भावना से एक कार्ययोजना बनाकर उसे क्रियान्वयन किये जाने की कार्यवाही करें ताकि इस समस्या का स्थायी निराकरण हो सके । इस कार्य में शिथिलता बरतने अथवा संदिग्ध आचरण वाले जेल कर्मियों की सूचना पूर्ण विवरण सहित आप इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सके ।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर